उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4

<u>अधिसूचना</u>

संख्या - 3/2021/1076/तीस-4-2021
लखनऊ : दिनांक : 14 सितम्बर, 2021

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 114 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सिविल मिस0 रिट याचिका संख्या-4855/2020 (ट्रक आपरेटर एसोसिएशन द्वारा अध्यक्ष राजेश रूपानी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य) दिनांक 23 जून, 2021 को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, राज्यपाल, समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों अथवा मोटरयान विभाग के उच्चतर अधिकारियों, ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस निरीक्षक अथवा पुलिस विभाग के उच्चतर अधिकारियों तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा), उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण (उपशा) एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के पदाभिहित व्यक्तियों को इस हेतु प्राधिकृत करती हैं कि यदि उनके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी माल यान या ट्रेलर का उपयोग पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 113 का उल्लंघन करके किया जा रहा है तो वह वाहन चालक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह यान को तोलन के लिए किसी तोलनयंत्र यदि कोई हो, पर ले जाए जो किसी स्थान से आगे के मार्ग पर दस किलोमीटर की दूरी के अंदर या यान के गन्तव्य स्थान से बीस किलोमीटर की दूरी के अंदर हो, और यदि ऐसे तोलन पर यह पाया जाता है कि उस यान ने भार से संबंधित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 113 के उपबंधों का किसी प्रकार उल्लंघन किया है तो वह वाहन चालक को लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि वह अधिक भार को अपनी जोखिम पर उतार दे और यान या ट्रेलर को उस स्थान से तब तक न हटाए, जब तक लदान सहित भार कम नहीं कर दिया जाता या यान अथवा ट्रेलर की बाबत अन्यथा ऐसी कार्यवाही नहीं कर दी जाती जिससे वह पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 113 का अनुपालन करे और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर वाहन चालक ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।

प्राधिकृत व्यक्ति, जिसने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 114 की उपधारा (1) के अधीन लिखित रूप में आदेश किया हो, वही माल यान परमिट पर अधिक लदान से सुसंगत ब्यौरे भी पृष्ठांकित करेगा और ऐसे पृष्ठांकन के तथ्य से उस प्राधिकारी को भी अवगत करायेगा जिसने यह परमिट स्वीकृत किया हो।

यह अधिसूचना गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3/2021/1076/XXX-4-2021, dated 14 September, 2021

Notification

No. 3/2021/1076/XXX-4-2021

Lucknow: Dated 14 September, 2021

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 114 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) and in pursuance of the order dated 23 June, 2021 passed by the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in Civil Misc. Writ Petition No 4855/2020 (Truck Operator Association through its President Rajesh Rupani and others versus State of Uttar Pradesh and others), the Governor is pleased to authorize all Assistant Regional Transport Officers or higher officers of the Motor Vehicles Department, Police Inspector or higher officers of Police Department on duty and designated persons of National Highways Authority of India (NHAI), Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA), Uttar Pradesh State Highways Authority (UPSHA) and Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA), if he has reason to believe that a goods vehicle or trailer is being used in contravention of Section 113 of the aforesaid Act, to require the driver to convey the vehicle for weighment to any weighing device, if any, which is within a distance of ten kilometers from any point on the forward route or within a distance of twenty kilometers from the point of destination of the vehicle; and if on such weighment it is found that the vehicle has, in any way, contravened the provisions of section 113 of the aforesaid Act regarding weight, he may, by order in writing, direct the driver to off-load the excess weight at his own risk and not to remove the vehicle or the trailer from the place until the laden weight has been reduced or the vehicle or the trailer has otherwise been dealt with so that it complies with section 113 of the aforesaid Act and on receipt of such notice, the driver shall comply with such directions.

The authorized person who makes the order in writing under sub-section (1) of section 114 of the aforesaid Act, shall also endorse the details of the overloading on the goods carriage permit, and also intimate the fact of such endorsement to the authority which issued that the permit.

This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Gazette.

By Order,

Rajesh Kumar Singh
Principal Secretary

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-3/2021/1076(1)/तीस-4-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 14 सितम्बर, 2021 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 200 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-3/2021/1076(2)/तीस-4-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-3/2021/1076(3)/तीस-4-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
(2) समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
(3) विधायी अनुभाग-1
(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।